राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 25(डी) 154/लेखा/निकाशि/निलामी/पार्ट-4/568-69 दिनांक 6-2-12

समस्त प्राचार्य,
सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय,
जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर।

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषय :- नकारा/अनुपयोगी/बेशी सामग्री के निस्तारण बाबत्।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक प.6 (1)वित्त/सा.बि.ले.नि./2005 दिनांक 27.01.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुपयोगी भण्डार सामग्री को नकारा घोषित कर निलामी के अभियान को वित्त विभाग के निर्देशानुसार इसी वित्तीय वर्ष 2011-12 में शीघ्र सम्पन्न करावें। वित्त विभाग (GF&AR) ने इसे गम्भीरता से लिया है।

अतः नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करवाने हेतु पालना करावें।

संलग्न :- पत्र

भवदीय,

मुख्य लेखाधिकारी,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 25(डी) 154/लेखा/निकाशि/निलामी/पार्ट-4/ दिनांक

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. विशेषाधिकारी, वित्त (GF&AR) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री धीरेन्द्र देवर्षि वेबसाईट पर अपलोड करावें।

मुख्य लेखाधिकारी,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

D:\accounts vibhag\bunker ji\latter.doc

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

संख्याः प. 6(1) वित्त/साविलेनि/2005 जयपुर, दिनांकः 27-1-2012

समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर

विषय : नकारा/अनुपयोगी/बेशी सामग्री के निस्तारण बाबत।
संदर्भ : इस विभाग के परिपत्र संख्या 11/2011 दिनांक 24.6.2011।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुपयोगी भण्डार सामग्री को नकारा घोषित कर नीलामी का अभियान चलाये जाने हेतु साविलेनि में शिथिलन प्रदान कराते हुए संदर्भित परिपत्र द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

अभियान के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया एवं विभागाध्यक्ष के प्रतिनिधि तथा विभाग के लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। नीलामी से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत तक कार्यालयों/विभागों को Modernisation/re-furnishing हेतु अतिरिक्त बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा।

गत वर्ष में नीलामी से प्राप्त राजस्व 1495 लाख की तुलना में इस वर्ष मात्र 527 लाख के राजस्व अनुमान बहुत ही कम है जिसे उच्च स्तर पर गम्भीरता से लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ विभाग में पदस्थापित अधिकारीगण को आगामी दो माह में अभियान अवधि में तत्परता से कार्यवाही निष्पादन करने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

A.A.O.(H.Q.) 3/2/12

भवदीय,

(उर्मिला जोशी)
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

//
विशेषाधिकारी